न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 86/2024

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

अप्रार्थी—1
दीपचंद पुत्र घनश्याम दास (विक्रेता)
मैसर्सः—दीपक कन्फैक्शनरी, बी.डी. गुप्ता मार्केट, लालाजी बालाजी मार्केट के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 40, मकान नं. 123, सुरेशिया, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी—2
हरजीत सिंह पुत्र कृपा सिंह (निर्माता)
मैसर्सः—नोनी फूडस एण्ड बेवरेज, गरेवाल नगर रोड़, हमबरन, लुधियाना, पंजाब।
निवासीः—मकान नं. 8265, गली नं. 16, दुर्गापुरी, हाईबॉल कला, लुधियाना, पंजाब।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांक :—13.08.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 18.03.2023 को समय दोपहर 03.25 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—दीपक कन्फैक्शनरी, बी.डी. गुप्ता मार्केट, लालाजी बालाजी मार्केट के पीछे, हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर दीपचंद पुत्र घनश्याम दास (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 40, मकान नं. 123, सुरेशिया, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास एक कार्टून में लगभग 80 पैकेट X 12 वजनी 01 लीटर Mango Drink (Just Fruit Brand) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 बोतल X 1 लीटर वजनी Mango Drink (Just Fruit Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर ली। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mango Drink (Just Fruit Brand) के खरीद मूल का 160/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 बोतल X 1 लीटर वजनी Mango Drink (Just Fruit Brand) को चार साफ सूखी शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2511 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर व नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2511 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Umed Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:17:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 349 दिनांक 29.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6353–54 दिनांक 12.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12720 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा विक्रेता को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Mango Drink (Just Fruit Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स–नोनी फूडस एण्ड बेवरेज, गरेवाल नगर रोड़, हमबरन, लुधियाना, पंजाब से क्रय करना बताया गया। जिसका इनवाईस नं. टीआई/2068 दिनांक 17.03.2023 फर्म द्वारा संलग्न किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/16750 दिनांक 10.10.2023 द्वारा मैसर्स–नोनी फूडस एण्ड बेवरेज, गरेवाल नगर रोड़, हमबरन, लुधियाना, पंजाब को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Mango Drink (Just Fruit Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। निर्माता नोनी फूडस एण्ड बेवरेज द्वारा खाद्य लाईसेंस, आधार कार्ड, जीएसटी वैट रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया। निर्माता फर्म का खाद्य लाईसेंस एवं उत्तरदायी व्यक्ति का आधार कार्ड प्राप्त कर अभियोजन में निर्माता फर्म को सम्मिलित किया गया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded खाद्य पदार्थ Mango Drink (Just Fruit Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mango Drink (Just Fruit Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी–1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी–2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त नमूना की लैब रिपोर्टानुसार क्वालिटी सही पाई गई है। एफएसएसए नियमों में परिवर्तन होने के कारण प्रोडक्ट मिसब्राण्डेड आया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्टानुसार डेट ऑफ एक्सपायरी एवं सोडियम की मात्रा लैबल पर अंकित नहीं होने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Mango Drink (Just Fruit Brand) का नमूना Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों की तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Mango Drink (Just Fruit Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। गर्मी में Mango Drink अत्यधिक उपयोग में लिये जाने वाला पेय पदार्थ है। जिसका मिसब्राण्डेड पाया जाना लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:17:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–1 पर 50,000 / –(अखरे रूपये पचास हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–2 पर 1,00,000 / –(अखरे रूपये एक लाख मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 1,50,000 / –(अखरे रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:17:59 IST
Reason: SelfAttested